कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/नारंगी/2019/ 708 भोपाल दिनांक 14/05/2019

प्रति,

समस्त

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय /वन्यप्राणी)
2. क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
3. कार्य आयोजना अधिकारी
4. वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)

विषय : वन भू–अभिलेखों का संधारण एवं वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

वन मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि वन राजस्व सीमा पर स्थित वन भूमियों के विवाद पर वनरक्षक, परिक्षेत्र सहायक, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारियों द्वारा भूमियों के संबंध में बिना गहन परीक्षण किसी भूमि के टूकड़े/खसरे के वनभूमि नहीं होने बाबत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है। शिकायत होने पर वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में ये भूमियाँ वनभूमियाँ पाई जाती है। दूसरा पहलू यह है कि राजस्व एवं विभिन्न न्यायालयों में ऐसे कनिष्ठ वन अधिकारियों द्वारा ऐसी वनभूमियों को राजस्व भूमि होने बाबत जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर विभाग के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आये हैं।

2) जैसा कि आप जानते हैं कि वन विभाग में भूमि संबंधी अभिलेख क्षेत्रीय वनमंडल की मानचित्रकार शाखा में संधारित किये जाते हैं। अतः किसी भी आवेदित भूमि का वन भूमि होने या नहीं होने का प्रमाणीकरण वनमंडल स्तर से ही दिया जा सकता है। इस संबंध में माह अप्रैल 2019 में आयोजित वृत्त स्तरीय क्षेत्रीय कार्यशालाओं में निर्णय लिया गया है कि वनभूमि संबंधी समस्त मूल अभिलेख जैसे वनखण्ड की अधिसूचना, वनखण्ड का मानचित्र, वनखण्ड का इतिहास इत्यादि क्षेत्रीय वनमंडल में ही संधारित किये जायेंगे। जब कोई वनभूमि जो समय–समय पर राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/ वन विकास निगम को हस्तांतरित की जाती है, तो ऐसी वनभूमियों से संबंधित वनखण्ड मानचित्रों, वनखण्ड इतिहास इत्यादि अभिलेखों भूमियों की सत्यापित प्रतियॉ वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा ही संबंधित को दी जावेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि वनभूमियों के मूल अभिलेखों की सत्यापित/स्कैन कॉपी संबंधित कार्य आयोजना अधिकारी के कार्यालय में भी रखी जोवेंगी।

अतः वनभूमि संबंधी सभी अभिलेखों के संधारण एवं सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय) का होगा तथा स्थानान्तरण होने पर वे अपने प्रभार सूची में इसका अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे।

14/5/19

3) चूँकि वनभूमि संबंधी मूल अभिलेख वनमंडल कार्यालय में संधारित है। **अतः निर्देश दिये जाते हैं कि वनमंडलाधिकारी से अनिम्न कोई अधिकारी किसी भी भूमि के वनभूमि अथवा गैर वनभूमि होने का प्रमाण जारी नहीं करेंगे। प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी के नामशुदा हस्ताक्षर एवं दिनांक के साथ ही जारी किया जावे।** वनमंडलाधिकारी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा अगर भूमि संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यदि वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) से निम्नस्तर के किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, वह तत्काल निरस्त कर पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजे।

इन निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

14/5/19

(जे0के0 मोहन्ती)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

मध्यप्रदेश,भोपाल

पृ0 क्रमांक/नारंगी/2019/709 भोपाल दिनांक 14/05/2019

प्रतिलिपि : 1. अपर मुख्य सचिव (वन)

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ. एवं वन–भू अभि.) म.प्र. भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र.भोपाल
5. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य वन विकास निगम, म.प्र.भोपाल
6. सदस्य सचिव पर्यावरण नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण म.प्र. भोपाल
7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/5/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

मध्यप्रदेश,भोपाल

140 COPY